

कार्यालय जिला पंचायत, सोनभद्र ।

पत्रांक : 897/जि0पं0/ई-निविदा सूचना/2018-19/
ई-निविदा सूचना

दिनांक 06 अक्टूबर 2018

जिला पंचायत सोनभद्र के समस्त नवीनीकृत/पंजीकृत ठेकदारों को सूचित किया जाता है कि चतुर्थ राज्य वित्त आयोग शासनादेश संख्या-09/2018/बी-2-770/दस-2018-2/2018 पंचायती राज अनुभाग-3 पत्रा0सं0-100 (15)/टी0सी0 वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 10मई 2018 द्वारा जिला पंचायत सोनभद्र को समनुदेशित की गई धनराशि के सापेक्ष निर्माण कार्य हेतु मा0 अध्यक्ष, जिला पंचायत, सोनभद्र की स्वीकृति के क्रम में प्रतिशत दर के आधार पर ऑनलाईन निविदायें दिनांक 24-10-2018 को सायं 4.00बजे तक आमंत्रित की जाती हैं। निविदादाता किसी एक अथवा समस्त कार्यों हेतु निविदा में भाग ले सकता है। निविदा प्रपत्र विवरण मय शर्तों व बिल ऑफ क्वांटिटी सहित वेबसाइट <http://etender.up.nic.in> पर दिनांक 15-10-2018 समय 12:00बजे मध्याह्न से 24-10-2018 को सायं 4:00बजे तक डाउनलोड/अपलोड किया जा सकता है, जो दिनांक 25-10-2018 को पूर्वाह्न 11:00 बजे जिला पंचायत कार्यालय में निविदा समिति के द्वारा खोली जायेंगी। निविदा फार्म शुल्क निविदा सूची के कालम-5 में अंकित धनराशि का पृथक-पृथक बैंकड्राफ्ट जो अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत सोनभद्र के पक्ष में देय होगा एवं निविदा सूची के कालम-4 में अंकित धरोहर धनराशि का एफडीआर/ एनएससी/केवीपी जो अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत सोनभद्र के पद नाम से बन्धक होगा, जमा करना अनिवार्य होगा। किसी भी ई-निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। निविदा से सम्बंधित समस्त शर्तों आदि की जानकारी कार्यालय दिवस में कार्यालय से भी की जा सकती है। परियोजनाओं का विवरण निम्नवत् है :-

क्रम सं0	कार्य का नाम	कार्य की लागत (लाख रु0में)	धरोहर धनराशि (रु0 में)	निविदा प्रपत्र मूल्य जी.एस.टी. सहित (रु0 में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5	6
1	म्योरपुर लिलासी मार्ग से जामपानी तक मार्ग लेपन कार्य	9.72	48600	560	तीन माह
2	रौप में मजूर के घर तक सहिजन गांव तक मार्ग लेपन कार्य	10.17	50850	560	तीन माह
3	मुठेर से जमगाई सम्पर्क मार्ग लेपन कार्य	11.52	57600	560	तीन माह
4	तेन्दूपुल से अमोखर से0मार्ग लेपन कार्य	20.43	102150	560	तीन माह
5	बेलखुरी नोगढ मार्ग खेखड़ा मोड़ पूजन के घर के पीछे होते हुए विद्याटार इ0कालेज तक लेपन कार्य	13.39	66950	560	तीन माह
6	ग्राम बिल्ली मारकुण्डी में टोला बाड़ी मूनर देवी टंकी से अनिल गौड़ के घर तक इंटर लांकिंग कार्य	15.17	75850	560	तीन माह
7	तियरा में रोड से ब्रह्म बाबा स्थान तक सी0सी0 रोड	10.71	53550	560	तीन माह
8	हिनौती में गजरिया नाले पर सुरक्षा दीवार	9.37	46850	560	तीन माह
9	ग्राम केवटा मीतापुर रोड से कटाशी के घर तक लेपन कार्य	9.37	46850	560	तीन माह
10	ग्राम सभा पईका टोला पथरहा जायसवाल बस्ती से जयप्रकाश शुक्ला के घर तक इंटरलांकिंग कार्य	9.37	46850	560	तीन माह
11	ग्राम सभा गुरुधर कतवारु यादव के घर से कमला यादव के घर तक इंटरलांकिंग कार्य	9.37	46850	560	तीन माह
12	गाम परासी में जगदीश कनौजिया के घर के पास से भगती के घर तक सड़क लेपन कार्य	15.16	75800	560	तीन माह
13	डाला अम्मा टोला सम्पर्क मार्ग पर जटैया नाला पर पुलिया निर्माण	15.17	75850	560	तीन माह
14	ग्राम पंचायत मिटहिनीया कुशवाहा बस्ती में सरजू कुशवाहा के घर से गायत्री धाम तक सी0सी0रोड	15.17	75850	560	तीन माह
15	वैनी मार्केट में जिला सहकारी बैंक से शिव शंकर सोनी के घर तक नाली निर्माण	16.07	80350	560	तीन माह

2


16	रामगढ़ (चतरा) में जिला पंचायत की भूमि पर बारात घर का निर्माण	45.58	227900	560	दो माह
17	दुद्धी में जिला पंचायत की भूमि पर बारात घर का निर्माण	45.59	227950	560	दो माह

2. प्रत्येक कार्य को पूर्ण करने की समयावधि कालम नं० 06 में वर्णित है।
3. निविदा की वैधता निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि से 60 दिवस होगी एक बार प्रस्तुत की गई निविदा वापस नहीं ली जा सकती।
4. परियोजनाओं से सम्बन्धित निविदा प्रपत्र बिडिंग डाक्यूमेन्ट वेबसाइट <http://etender.up.nic.in> पर उपलब्ध है, जो दिनांक 15-10-2018 मध्याह्न 12:00 बजे से 24-10-2018 को अपरान्ह 4:00 बजे तक डाउनलोड कर प्राप्त की जा सकती है।
5. निविदायें बिन्दु सं० 4 में दी गयी तिथियों एवं समय तक ही ऑनलाइन अपलोड की जायेंगी जिसकी तकनीकी निविदायें दिनांक 25-10-2018 को पूर्वाह्न 11:00 बजे तदनुसार ऑनलाइन खोली जायेंगी तथा निविदा प्राप्त अथवा खोलने की तिथि पर कार्यालय यदि बन्द होता है तो निविदायें अगले कार्यकारी दिवस में निर्धारित समय एवं स्थान पर ऑनलाइन खोली जायेंगी तथा निविदाओं की वैधता मूल तिथि से मानी जायेगी। वित्तीय निविदाओं को खोलने की तिथि एवं समय की सूचना आनलाइन दी जायेगी।
6. प्रत्येक कार्य के लिये निविदादाताओं की शंका समाधान उक्त बिन्दु सं० 04 में अंकित तिथियों (कार्यदिवस) में कार्यालय जिला पंचायत, सोनभद्र में उपस्थित होकर कार्यालय से कर सकता है।
7. निविदा फार्म शुल्क निविदा सूची के कालम-5 में अंकित धनराशि का पृथक-पृथक बैंकड्राफ्ट अथवा जिला पंचायत के प्रपत्र-5 द्वारा जो अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत सोनभद्र के पक्ष में देय होगा। तथा निविदा सूची के कालम-4 में अंकित धरोहर धनराशि का पृथक-पृथक एफडीआर/एनएससी/केवीपी जो अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत सोनभद्र के पद नाम से बन्धक होगी व अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, सोनभद्र के पक्ष में देय हो, को ऑनलाइन एवं भौतिक रूप में जमा करना अनिवार्य है।
8. ऐसे निविदादाता जिनका कोई सगा सम्बन्धी (First Blood Relation & There Spouse) जैसा की जिला पंचायत सेवा नियमावली 1961 की धारा-54 में परिभाषित है, को कार्य करने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी। उक्त आशय का शपथ पत्र संलग्न करना होगा।
9. किसी भी एक या सभी निविदाओं को बिना कारण बतायें निरस्त करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा।
10. ऐसे राजपत्रित अधिकारी/अभियन्ता जो राज्य सरकार या केन्द्र सरकार की सेवा से 02 वर्ष सेवा निवृत्ति के पूर्ण नहीं हुये हैं, को कार्य करने की अनुमति बिना राज्य सरकार/केन्द्र सरकार की अनुमति बिना नहीं दी जायेगी। यदि कोई सेवा निवृत्त अधिकारी/अभियन्ता बिना सरकार के अनुमति के कार्य करते पाये जायेंगे तो संज्ञान में आते ही उनकी निविदा तुरन्त निरस्त कर दी जायेगी।
11. निविदा प्रपत्र तथा अन्य विवरण जैसे अर्हता, कार्य की विशिष्टियां ड्राईंग विभिन्न कार्यों के बिल ऑफ क्वांटिटी, जो कार्य किया जाना है, के सम्बन्ध में जिला पंचायत, (निर्माण अनुभाग कार्यालय) सोनभद्र के उपर्युक्त अवधि समय 11:00 बजे से 4:00 बजे देखी जा सकती है।
12. निविदादाता के आपराधिक रिकार्ड होने पर निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी।
13. कोई भी निविदादाता जो स्टेट बार कौंसिल में पंजीकृत है वह निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगा।
14. शासनादेश संख्या-622/23-12-2012-2 आडिट/08 टी०सी०-2 दिनांक-08जून 2012 में उल्लिखित परफारमेन्स गारण्टी के रूप में 10 प्रतिशत कम दरों तक 0.50 प्रतिशत प्रति 01 प्रतिशत कम दर के अनुसार तथा 10 प्रतिशत से अधिक कम दर होने पर 01 प्रतिशत प्रति 01 प्रतिशत कम दर के अनुसार


3


बिड सिक्योरिटी के अतिरिक्त परफारमेन्स सिक्योरिटी राष्ट्रीयकृत बैंक के बैंकड्राफ्ट के रूप में दिया जाना अनिवार्य होगा।

15. प्रत्येक निविदादाता को बिड डाक्यूमेंट एवं मूल धरोहर धनराशि जो ऑनलाइन अपलोड की गयी है। उसको मूल रूप में दिनांक 24/10/2018 को सायंकाल 05.00 बजे कार्यालय अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, सोनभद्र में जमा करना अनिवार्य होगा।
16. निविदादाता को समस्त सूचनाएं/प्रपत्र निश्चित प्रारूप टी-4, टी-5, टी-6 पैनकार्ड, जीएसटी प्रमाण पत्र व अन्य अभिलेख तथा पंजीयन प्रमाण पत्र प्रत्येक बिड के साथ लगाना अनिवार्य है।
17. कार्य के अंतिम भुगतान के उपरान्त जिला पंचायत निर्माण नियमावली में दिये गये प्राविधानों के तहत समुचित कार्यवाही करते हुये जमानत वापसी की कार्यवाही की जायेगी।
18. टेण्डर की कार्यवाही उपलब्ध धनराशि व वर्ष 2018-19 के लिये अवशेष समनुदेशित धनराशि के सापेक्ष की जा रही है अतः टेण्डर स्वीकृति/अनुबंध की कार्यवाही उपलब्ध धनराशि एवं तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही की जायेगी।
19. कॉलम 03 में अंकित निर्माण कार्य लागत में जी0एस0टी0 की 12 प्रतिशत धनराशि सम्मिलित नहीं है। जी0एस0टी0 व सेस के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेश उपरोक्त निविदाओं पर प्रभावी होंगे।


(एस0पी0 पाण्डेय)
अभियन्ता

जिला पंचायत, सोनभद्र।



(वी0सी0 पन्त)
अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, सोनभद्र।


(अमरेश सिंह पटेल)
अध्यक्ष
जिला पंचायत, सोनभद्र।

कार्यालय जिला पंचायत सोनभद्र।

पत्रांक: 897 / जि0पं0 / नि0अनु0-टेण्डर सूचना / 2018-19 / दिनांक: 06 अक्टूबर 2018.
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1-जिलाधिकारी महोदय सोनभद्र।
- 2-पुलिस अधीक्षक महोदय सोनभद्र।
- 3-मुख्य विकास अधिकारी/मुख्य अधिकारी जिला पंचायत सोनभद्र।
- 4-अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) सोनभद्र।
- 5-उप जिलाधिकारी राबर्टसगंज/घोरावल/दुद्धी, सोनभद्र।
- 6-तहसीलदार राबर्टसगंज/घोरावल/दुद्धी, सोनभद्र।
- 7-जिला सूचना विज्ञान अधिकारी सोनभद्र।
- 8-अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड/प्रान्तीय खण्ड-लो0नि0वि0/पी0एम0जी0एस0वाई0/मण्डी समिति /ग्रा0अभि0विभाग/सिंचाई निर्माण खण्ड सोनभद्र।
- 9-वित्तीय परामर्शदाता/अभियन्ता, जिला पंचायत सोनभद्र।
- 10-लेखाकार जिला पंचायत सोनभद्र।
- 12-नाजिर कार्यालय जिलाधिकारी सोनभद्र को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
- 11-नाजिर जिला विकास कार्यालय को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
- 13-एक प्रति जिला पंचायत कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।


अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत सोनभद्र।